न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 01/2017

1. रघुनाथ पुत्र खचेरा जाति जाटव निवासी तिलचिवी तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. पूरन पुत्र खचेरा जाति जाटव निवासी तिलचिवी तहसील वैर जिला भरतपुर।

2/1. बुददन पत्नी स्व0 पूरन आयु 68 वर्ष

2/2. उदयसिंह पुत्र स्व0 पूरन आयु 50 साल

2/3. बदनसिंह पुत्र स्व0 पूरन आयु 48 वर्ष

2/4. रामसिंह पुत्र स्व0 पूरन आयु 46 वर्ष

2/5. मोहनदेई पुत्री स्व0 पूरन आयु 43 वर्ष

2/6. मुन्शीलाल पुत्र स्व0 पूरन आयु 40 वर्ष

2/7. वीरसिंह पुत्र स्व0 पूरन आयु 37 वर्ष

2/8 शेरसिंह उम्र 34 वप्र

जातियान जाटव निवासीयान तिलचिवी तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र 40 वर्ष
2. समयसिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र 35 वर्ष
3. फूलसिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र 33 वर्ष
4. निहाल सिंह पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र 30 वर्ष
5. कैलाश पुत्र स्व0 मोहनलाल उम्र 22 वर्ष
6. श्रीमती किन्ना बेबा स्व0 मोहनलाल उम्र 60 वर्ष

जातियान जाटव निवासीयान तिलचिवी तहसील वैर जिला भरतपुर।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

7. श्रीमती गीता पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी श्याम उम्र 50 वर्ष
8. श्रीमती विद्या पुत्री स्व0 मोहनलाल उम्र 47 वर्ष पत्नी बिरजी
9. सपीता पुत्री स्व0 मोहनलाल उम्र 25 वर्ष पत्नी सुनील

जातियान जाटव निवासीयान ग्राम तिलचिवी तहसील वैर जिला भरतपुर (राज0) हाल निवासीयान ग्राम विरहामपुर तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार वैर दिनांक 22.09.2014 शुद्धिपत्र संख्या 1 एवं नामान्तरकण संख्या 844 दिनांक 08.06.2016 बाकै ग्राम तिलचिवी तहसील वैर।

उपस्थित :– 1. श्री उत्तमचन्द पोहिया, अभिभाषक अपीलान्टान
2. श्री विजयसिंह फौजदार, अभिभाषक रैस्पो0

निर्णय

दिनांक: 17.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार वैर दिनाक 22.09.20142014 शुद्धि पत्र संख्या 1 एवं नामान्तरकण संख्या 844 दिनाक 08.06.2016 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में नामान्तरकरण संख्या 844 ग्राम तिलचिवी तहसील वैर खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 844 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रैस्पो0 की तलबी की गई है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि उक्त आराजी पर अपी0 का पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है तथा शुरू से ही अपीलान्टान के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

नाम इन्द्राज विवादित आराजी पर चले आ रह है। स्व0 मोहनलाल व रैस्पो0 का उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपी0 को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही शुद्धिपत्र से पूर्व हरखासोआम के नोटिस जारी नहीं किये गये है और न ही आपत्तियां मांगी है। अपीलान्टान को शुद्धिपत्र आदेश की जानकारी दिनांक 20.12.2016 को हुई। अपीलान्टान ने तहसील से नकल लेकर जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश किया हैं। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

अभिभाषक रैस्पो0 ने अपने तर्को में जाहिर किया है कि अपीलान्ट ने अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की है। अपीलान्ट के द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं उसके साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें देरी का कारण भी अंकित नहीं किया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश शुद्धिपत्र संख्या 1 दिनांक 22.09.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 844 दिनांक 08.06.2016 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरकरण मृतक मोहनलाल की विरासत का खोला जाकर दिनांक 08.06.2016 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट मुख्य तर्क है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है, स्व0 मोहनलाल व रैस्पो0 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है, शुद्धिपत्र संख्या 1 दिनांक 22.09.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 844 दिनांक 08.06.2016 स्वीकार करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। विचाराधीन अपील नामान्तरकरण संख्या 844 पर यह देखना है कि क्या स्व0 मोहनलाल की विरासत का नामान्तरकरण खोलने मे कोई नियमों की अवहेलना तो नहीं हुई है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 844 स्वर्गीय मोहनलाल की विरासत का सजरा नामान्तरकरण पर अंकित हुआ है। शुद्धि पत्र दिनांक 22.09.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी सम्बत 2053–2056 के खाता संख्या 65 में मोहनलाल,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

पूरन पिस0 खचेरा व हिस्सा बराबर 3/8 दर्ज है जबकि जमाबन्दी सम्वत 2057–2060 में खाता संख्या 64 पर मोहनलाल का नाम छूट जोन पर पुनः दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में है। शुद्धि पत्र के सम्बन्ध में राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 166 में प्रावधान है कि "..... जमाबन्दी के इन्द्राजात, बाद के अभिलेखों में तब तक नहीं बदले जावे जब तक कि इस प्रयोजन हेतु नामान्तरकरणों (म्यूटेशनों) में परिवर्तन करने के लिये पूर्वगामी आदेश प्राप्त न कर लिया गया हो, सिवाय उस अवस्था में जबकि परिवर्तन केवल किसी लेखकीय अशुद्धि (Clerical Mistake) हटाना हो, अर्थात जमाबन्दी के इन्द्राजात को दूसरी में नकल करने में कोई भूल अथवा किसी नामान्तरकरण को जमाबन्दी में सम्मलित करने में कोई त्रुटि, जिसको सुधारने के लिये किसी नामान्तरकरण आदेश में परिवर्तन नहीं करना पडे...."। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसे किसी नामान्तरकरण की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिससे मोहनलाल का नाम खाता संख्या 65 के खसरा नम्बरों से पृथक किया जाना स्पष्ट होता हो। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2014 में कोई विधिक त्रुटि हम नहीं पाते है। अस्तुः अपील काबिल खारिजी के रहती है।

अतः आदेश है किः–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)